1

218

COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

5 रु. COURT FEE Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

IN THE HON`BLE BOARD OF REVENUE, MADHYA PRADESH, GWALIOR

CASE NO. / 2011 Revision R-1389-II/2011

Applicant/Petitioner

1. Irshad Ali S/o Shri Shahadat Ali, Age- 26, Caste- Mohammedan, Occ- agriculturist
2. Abid S/o S/o Shri Shahadat Ali, Age - 24, Caste - Mohammedan, Occ- agriculturist, both Are R/o Village Kalarna District,sheopur M.P.

V/s

NonApplicant/ Respondent

1. Parsiya S/o Shri Bihari Age-42
2. Pooran S/o Sita ram Age- 45
3. Sarwan S/o Sunder Age-45
4. Baisakhya S/o Sunder Age-43
5. Kishan Lal S/o Fundiya
6. Bisaro Wd W/o Fundiya
7. Kishan Lal S/o Fundiya
8. BajNath S/o MadhoLal,Age-75

All R/o Village Kalarna District, Sheopur M.P.

9. State of M.P. through Collector District Sheopur

23/8/11

Revision under section 50 r/w section 32 of M.P. Land Revenue Code arising out of order Dated 23.08.2011 passed by commissioner Chambal Division Morenaand in case no. 194/2010-11 Revision and order Dated 09.12.2010, passed by respondent no. 9 The Collector District Sheopur in Case no. 23/2010-11/soumotu Revision/289, wherein the proceeding under suo motu Revision has been initiated arbitrarily and illegally and against the full bench judgment passed by Hon`ble High Courin case (Ranuveer Singh & others Vs State of M.P.) M.P.H.T. 2010 (V)137 Hence this Revision

MAY IT PLEASE THIS HON`BLE COURT,

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी/1389/द्वितीय/2011 जिला-श्योपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
20.1.17	यह निगरानी आवेदकगण द्वारा आयुक्त चंबल संभाग मुरैना के प्रकरण क्रमांक 194/2010-11/निगरानी में पारित आदेश दिनांक 23-08-2011 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है। 2- प्रकरण का सारांश इस प्रकार है कि तहसीलदार श्योपुर ने अपने प्रकरण क्रमांक 26/2003-04/अ-24 में पारित आदेश दिनांक 31-08-2004 से वर्तमान अनावेदक के स्वामित्व की ग्राम कलारना की भूमि सर्वे क्रमांक 47 रकबा 6 बीघा 10 बिस्वा सर्वे क्रमांक 46 रकबा 7 बीघा 18 बिस्वा तथा सर्वे क्रमांक 34 व 35 रकबा 11 बीघा को छोड़ने की अनुमति दी गई अनुविभागीय अधिकारी श्योपुर ने कलेक्टर श्योपुर को इस आशय का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया की वादित भूमि अनुसूचित जनजाती के व्यक्तियों के नाम भूमि स्वामी स्वत्व पर अंकित थी जिसके विक्रय की अनुमति लिये बगैर तत्कालिन तहसीलदार ने अंतरण की कार्यवाही की है जिससे स्टाम्प डयूटी की चोरी हुई है उक्त प्रतिवेदन के आधार पर कलेक्टर श्योपुर	

	द्वारा प्रकरण क्रमांक 23/2010-11/स्वमेव निगरानी में दर्ज कर आदेश दिनांक 09-12-2010 से तहसीलदार के अन्तरण आदेश दिनांक 31-08-2004 को स्वमेव निगरानी में दर्ज कर प्रकरण में आगामी पेशी दिनांक 29-03-2011 नियत की कलेक्टर जिला श्योपुर के उक्त अंतरिम आदेश के विरूद्ध ईरशाद अली व आबिद अली के द्वारा आयुक्त चंबल संभाग के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की जिसे आयुक्त चंबल संभाग ने अपने प्रकरण क्रमांक 194/2010-11/निगरानी पर दर्ज कर दिनांक 23-08-2011 को आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी निरस्त कर दी। जिसके विरूद्ध इस न्यायालय के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई है। 3- निगरानी मेमो में उठाये गये बिन्दुओं पर उभयपक्ष के अभिभाषकों के पक्ष सुने तथा आवेदकगण की ओर से उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। 4- आवेदकगणों के विद्वान अभिभाषक द्वारा अपने तर्कों में बताया गया की वादित भूमि का अंतरण तहसीलदार श्योपुर द्वारा आवेदकगण को वर्ष 2004 में किया गया था। जिसे बिना किसी शिकायत के आधार पर कलेक्टर श्योपुर द्वारा 6 वर्ष उपरान्त स्वमेव	

निगरानी में लेकर कार्यवाही प्रारम्भ की है जो कि अवैधानिक है बिना किसी आधार पर स्वमेव निगरानी में प्रकरण नहीं लिया जा सकता। विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश अपीलीय आदेश था जिसके विरुद्ध किसी पक्ष को आपत्ति थी तो अपील करना चाहिए थी। इस संबंध में उनके द्वारा न्याय दृष्टांत 1981 आर.एन. 333 (उच्च न्यायालय) 2007 आर.एन. 71 के न्याय दृष्टांत का सन्दर्भ देते हुये कहा गया की इस ओर अधीनस्थ न्यायालय ने कोई ध्यान नहीं दिया इस कारण से अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। उनके द्वारा यह तर्क भी दिया गया आवेदकगण को हुये अंतरण की जानकारी शासन को पूर्व से थी क्योंकि पटवारी द्वारा राजस्व अभिलेखों में अमल किया गया था। यदि किसी पक्ष का कोई आपत्ति थी तो उसे अपील करनी चाहिए थी। तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के प्रतिवेदन का हवाला देते हुये प्रकरण स्वमेव निगरानी में लिया है जबकि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा किसी भी प्रकार की कोई सूचना आवेदकगणों को नहीं दी गई तथा अनावेदक शासन द्वारा लगभग 6 वर्षों के उपरान्त प्रकरण स्वमेव निगरानी में लेने की कार्यवाही की जा रही है जो कि विधि सम्वत नही है और अन्त में उपरोक्त तथ्यों का हवाला देते हुये निगरानी स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

5- मध्यप्रदेश शासन के शासकीय अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश उचित होने

से निगरानी निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

6- उभयपक्षों के अभिभाषक द्वारा किये गये तर्को एवं उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदकगण के पक्ष में अंतरण वर्ष 2006 में किया गया था जिसे अनुविभागीय अधिकारी के प्रतिवेदन के आधार पर कलेक्टर श्योपुर द्वारा स्वमेव निगरानी में लिये जाने का आदेश कलेक्टर श्योपुर द्वारा दिया गया है एवं कलेक्टर के उक्त आदेश के विरूद्ध आयुक्त चंबल संभाग के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई जिसे आयुक्त द्वारा सारहीन होने से निरस्त कर दिया गया। जो विधि सम्मत नही है 156 एवं 2006 आर.एम. 313 अवलोकनीय है इन न्याय दृष्टांतों में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि स्वमेव निगरानी की कार्यवाही शिकायत के आधार पर नहीं की जा सकती और ना ही न्यायालय अपनी ओर से प्रतिस्थापित कर सकता है एवं कलेक्टर द्वारा स्वमेव निगरानी की कार्यवाही 6 वर्ष उपरान्त प्रारम्भ की गई है जो कि न्याय दृष्टांतों के प्रकाश में युक्ति-युक्त अवधि नही मानी जा सकती। किसी भी प्रकरण को स्वमेव निगरानी में लेने हेतु न्याय दृष्टांत 1998 (1) म.प्र. वीकली नोट्स 26 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 1 वर्ष की अवधि को युक्ति-युक्त अवधि नही माना गया है। इसी प्रकार आई.एल.आर. (2011) मध्यप्रदेश 1 (माननीय उच्च न्यायालय पूर्णपीठ) (रनवीर सिंह मृतक वारिसान किशोरी सिंह एवं अन्य तथा

मध्यप्रदेश शासन) में माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की पूर्णपीठ द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालयों के अनेक न्याय दृष्टांतों का सन्दर्भ देते हुये यह अभिनिर्धारित किया है कि स्वप्रेरणा की शक्तियों का प्रयोग पुनरीक्षण प्राधीकारी द्वारा उसके अधीनस्थ किसी भी न्यायालय द्वारा की गई कार्यवाहियों की अनियमितता की तारीख से 180 दिन के भीतर ही किया जा सकता है। उपरोक्त प्रतिपादित सिद्धान्तों के प्रकाश में कलेक्टर श्योपुर द्वारा की जा रही कार्यवाही न्याय संगत एवं विधि सम्मत न होने से स्थिर रखे जाने योग्य नही है।

7- उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी स्वीकार की जाती है तथा आयुक्त चंबल संभाग मुरैना द्वारा पारित आदेश दिनांक 23-08-2011 एवं कलेक्टर श्योपुर द्वारा अपने प्रकरण क्रमांक 23/2010-11/स्वमेव निगरानी में पारित आदेश दिनांक 09-12-2010 अवैधानिक होने से निरस्त किये जाते है तथा कलेक्टर श्योपुर के समक्ष विचाराधीन प्रकरण क्रमांक 23/2010-11/स्वमेव निगरानी को इसी स्तर पर निरस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।

(एम०के० सिंह)
सदस्य,
राजस्व मण्डल, म०प्र० ग्वालियर